राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प. 9(9)राज–6/04/18 जयपुर, दिनांक 26.5.2008

परिपत्र

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु अनाधिवासित राजकीय भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर सक्षम है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 6(17)राज/4/88/10 जी.एस.आर. 103 दिनांक 3.12.1988 के द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(42)राज/ख/58/ग्रुप–1 दिनांक 20.4.1961 में आंशिक संशोधन करते हुये ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु दी जाने वाली भूमि के संबंध में देय लगान का 20 गुना राशि के बराबर पंजीकृत मूल्य के संदाय से मुक्त कर दिया था।

प्रायः यह देखने में आया है कि जिला कलेक्टर राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन दर्ज भूमि को ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन करने हेतु पत्रावलियां राज्य सरकार को प्रेषित करते है, जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर अन्य प्रकार की भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर अधिकृत हैं। ऐसी स्थिति में गैरमुमकिन अनाधिवासित राजकीय भूमि निम्न भूमियों को छोड़ते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर द्वारा की जा सकती है:–

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि।
2. किसी तालाब, नदी, नाला, नाडी के जलप्रवाह क्षेत्र में स्थित भूमि।
3. विशिष्ठ नियमों के अन्तर्गत आरक्षित भूमि।
4. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी के अन्तर्गत अरबनाईजेबल लिमिट या पेरीफेरी बैल्ट के अन्तर्गत स्थित भूमि।
5. इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से निर्धारित मापदण्डों में स्थित राजकीय भूमि।
6. माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम् सरकार के अन्तर्गत निर्णय के अधीन स्थित भूमि।
7. वन विभाग के अधीन स्थित भूमि।
8. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र की भूमि।

उपरोक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़ते हुए शेष क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार भूमि आवंटन करने के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(अशोक शेखर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. नियन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. निजी सचिव, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
7. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व।

उप शासन सचिव